सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/17

भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 07 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर और उससे निचले स्तर के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों का 01.01.2017 से वेतन संशोधन - स्थल आधारित प्रतिपूरक भत्ते और नान प्रैक्टिसिंग भत्ते पर निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को स्थल आधारित प्रतिपूरक भत्ता और नान प्रैक्टिसिंग भत्ता के बारे में अलग से दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 03 अगस्त, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 और दिनांक 04 अगस्त, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 के उप पैरा 3(ख) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। विधिवत विचार विमर्श के उपरांत सरकार ने स्थल आधारित प्रतिपूरक भत्ते और नान प्रैक्टिसिंग भत्ते के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया है :-

स्थल आधारित प्रतिपूरक भत्ता :

(i) पूर्वोत्तर राज्यों और लदाख क्षेत्र में सेवारत के लिए :

असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम	मूल वेतन का 10%
लदाख क्षेत्र	मूल वेतन का 10%

(ii) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीपीय क्षेत्रों में सेवारत के लिए :

राजधानी शहर के चारों ओर के क्षेत्र (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप में कवरती और अगाती)	मूल वेतन का 10%
कठिन क्षेत्र (उत्तर एवं मध्य अण्डमान, पोर्टब्लेयर को छोड़कर दक्षिण अण्डमान,कवरती, अगाती और मिनीकॉय को छोड़कर पूरा लक्षद्वीप)	मूल वेतन का 16%
अधिक कठिन क्षेत्र (लिटिल अण्डमान, निकोबार द्वीपसमूह, नरकोण्दम द्वीप, पूर्व द्वीप और मिनीकॉय)	मूल वेतन का 20%

(iii) **विशेष भत्ता** : कठिनाई वाले और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवारत के लिए :

शामिल क्षेत्र	मूल वेतन का प्रतिशत
भाग 'क' (व्यय विभाग के दिनांक 19-7-2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2017-ई- II (ख) के अनुबंध – I के अंतर्गत शामिल क्षेत्र)	मूल वेतन का 8%
भाग 'ख' (व्यय विभाग के दिनांक 19-7-2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2017-ई- II (ख) के अनुबंध – II के अंतर्गत शामिल क्षेत्र)	मूल वेतन का 6%
भाग 'ग' (व्यय विभाग के दिनांक 19-7-2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2017-ई- II (ख) के अनुबंध – III के अंतर्गत शामिल क्षेत्र)	मूल वेतन का 4%
भाग 'घ' (व्यय विभाग के दिनांक 19-7-2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2017-ई- II (ख) के अनुबंध – IV के अंतर्गत शामिल क्षेत्र)	मूल वेतन का 3%

(iv) किसी क्षेत्र के एक से अधिक श्रेणियों अर्थात ऊपर उल्लिखित (i)/ (ii) एवं (iii) में आने की स्थिति में केवल भत्ते की उच्चतर दर की अनुमति होगी।

नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए):

चिकित्सा अधिकारियों को मूल वेतन के 20% तक नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अन्य लाभों के परिकलन के प्रयोजनार्थ एनपीए को वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। |

2. इस कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट भत्ते 'कैफेटेरिया अप्रोच' के अंतर्गत मूल वेतन के 35% की अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर होंगे और ये भत्ते राष्ट्रपतिक आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

राजेश

(राजेश कुमार चौधरी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (सचिवों के नाम से)

प्रतिलिपि: सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक।

प्रतिलिपि:

i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार
ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
iii) व्यय विभाग, ई-V/ ई- II शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (सीपीसी वेतन 1), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
v) अध्यक्ष, पीईएसबी/सचिव, पीईएसबी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

i) प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री तरूण बजाज, अपर सचिव)
ii) मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एस.ए.एम. रिज्वी, संयुक्त सचिव)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

i) मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.) के निजी सचिव
ii) राज्य मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.) के निजी सचिव
iii) सचिव, लोक उद्यम के निजी सचिव
iv) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (लोक उद्यम)
v) लोक उद्यम विभाग के सभी अधिकारी
vi) एनआईसी सेल, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(समसुल हक)
अवर सचिव, भारत सरकार